प्रेस नोट दिनाँक 14.04.2021

(1). आज दिनाँक 14.04.2021 को संविधान निर्माता बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की 130वी जयंती के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गयी । प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, प्रभारी चुनाव सेल श्री अरुण कुमार पाठक, प्रभारी एलआईयू राजेश कुमार, प्रधान लिपिक श्री आलोक कुमार सिंह,वाचक पुलिस अधीक्षक श्री शिवबदन सिंह, तथा पुलिस कार्यालय में उपस्थित समस्त अधि0/कर्मचारियों द्वारा बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली दी गयी। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जीवन एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश डालते हुये सभी को सम्बोधित किया।

(2). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनाँक 13.04.2021 की रात्रि में जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत ग्राम बिहारा एवं सेमरिया जगन्नाथवासी में जनचौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को जागरुक किया।

जिलाधिकारी महोदय ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर आश्वस्त करते हुए ग्रामीण को कहा, कि पारदर्शी और निष्पक्षता से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को मतदान करने से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा । उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग संपन्न कराने में अपना सहयोग करें, यदि कोई दबंग मतदान करने के लिए धमकाता है या प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम या प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित करें । चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कहा कि वह किसी प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें । उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने संभावित उम्मीदवारों और समर्थकों को आह्वान किया कि मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। जिलाधिकारी महोदय ने वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन सभी को करा लेना चाहिए जो 45 साल के उम्र के हो चुके हैं यह वैक्सीनेशन 45 साल के उम्र के व्यक्तियों को लगाया जा रहा है । जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केंद्रों में पानी शौचालय बिजली की समुचित व्यवस्था करा ले ।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने ग्रामीणों से कहा कि चुनाव में बाधा डालने वाले किसी भी असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा । उन्होंने कहा कि मतदान को प्रभावित करने वाले लोगों को चिन्हित करने में अपना सहयोग करें उन्होंने कहा कि हर मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा । उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि किसी बाहरी व्यक्तियों को चुनाव में न बुलाए उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी । उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में ऐसे मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी । किसी के प्रलोभन में या दबाब में आकर वोट न दें, सभी लोग भयमुक्त होकर वोट करें ।

इस अवसर उपजिलाधिकारी सदर श्री रामप्रकाश, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, पीआरओ श्री दिनेश सिंह, श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण तथा ग्रामीण उपस्थित रहे ।

(3). दिनाँक 13.04.2021 की रात्रि में जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दष्टिगत रखते हुए चौकी सीतापुर अन्तर्गत

हॉटस्पॉट मुहल्ला तीरथराजपुरी का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को हॉटस्पॉट एरिया में बैरियर लगाकर पुलिस कर्मियों की डियूटी लगाने हेतु तथा सेनेटाइजेशन कराने हेतु निर्देश दिये। महोदय द्वारा जनता से कोरोना से बचाव हेतु मास्क लगाने हेतु, सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने हेतु अपील की।

(4). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनाँक-14.04.2021 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर की उपस्थिति में समीक्षा गोष्ठी की गयी। समीक्षा गोष्ठी में महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी को निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

(i). थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल करें तथा आदर्श आचार संहिता का पालन कराये।

(ii). थाना क्षेत्र के समस्त हिस्ट्रीशीटरों की गोष्ठी करने हेतु निर्देशित किया।

(iii). थाना क्षेत्र में लगने वाले पिकेट के स्थानों को चिन्हित कर सूचना अविलम्ब चुनाव कार्यालय भेजे।

(iv). थाना क्षेत्र के जिस एरिया में मोबाइल नेटवर्क की समस्या हो वहां पर डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों के लिए हैंडसेट की व्यवस्था कराने हेतु निर्देश दिये ।

(v). चुनाव डियूटी में लगने वाले पुलिस बल के लिए लंच पैकेट समय से उपलब्ध कराने तथा शाम 04 बजे हल्का नाश्ता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये।

(vi). ग्रामों में असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर लाल कार्ड देने हतु निर्देशित किया।

(vii). चुनाव में बाहर से आने वाली फोर्स के रूकने वाले स्थानों की समीक्षा कर समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये गये।

(viii). 10 साल के अपराधों से सम्बन्धित अपराधियों की समीक्षा कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(ix). अवैध शराब, अवैध शस्त्र, अवैध गांजा बेचने वालों पर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(x). थाना पर चुनाव के दृष्टिगत की गयी निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा की गयी। ज्यादा से ज्यादा निरोधात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। 107/166 सीआरपीसी की नोटिस शीघ्र तामीला कराकर भारी से भारी मुचलकें से पाबंद कराया जाये।

समीक्षा गोष्ठी में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी, श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर, श्री अजय जायसवाल प्रभारी चौकी शिवरामपुर, श्री दिनेश सिंह पीआरओ एवं थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त उपनिरीक्षकगण एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 13.04.2021 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मारकुण्डी में 02 व्यक्तियों तथा थाना कोतवाली कर्वी में 01 व्यक्ति के विरुद्ध कुल 03 के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अभियुक्तों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में गुण्डा गर्दी करने वाले 16 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचंद्र चौरसिया द्वारा अभियुक्त 1.रज्जू उर्फ देवनारायण पुत्र गौरीशंकर 2. विनीत पुत्र बालकुमार 3. संजय पुत्र तिलक सिंह 4. नन्हीं पुत्र शिव बदन 5. संतोष गुप्ता पुत्र गौरीशंकर 6.जयप्रकाश पुत्र गौरीशंकर 7. चुनकावन पुत्र गोंडा चमार 8. रामेंद्र उर्फ कल्लू पांडेय पुत्र प्रहलाद 9. रंजन उर्फ सत्येंद्र पांडेय पुत्र गण पहलाद पांडेय 10. नीलम सिंह पुत्र शिव विजय सिंह 11. सुभाष प्यासी पुत्र उदित नारायण निवासीगण पतेरिया 12. बिज्जू सिंह पुत्र शंकर निवासी छेरिहाई 13. संजय पुत्र गोंडा निवासी पतेरिया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवीही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय उपाध्याय द्वारा अभियुक्त 1. जगमोहन यादव पुत्र राम सजीवन निवासी इटखरी 2. शंकर दयाल उर्फ बड़कू पुत्र संतोष कुमार निवासी रसिन 3. लवलेश पांडे पुत्र केवल प्रसाद निवासी बरहाई थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 20 लीटर कच्ची व 23 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्त धर्मपाल पुत्र राजपाल केवट निवासी बलमुआ बड़ा कसाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया अमित के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

(ii). वरि0उ0नि0 श्री अरविंद मिश्रा थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राम बहोर आदिवासी पुत्र शिवप्रसाद निवासी डोडियामाफी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 23 क्वार्टर देशी ठेका मस्ती शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री जयशंकर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 86/21 धारा 498ए/304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त 1.विकास पुत्र मोहनलाल 2. लक्ष्मी देवी पत्नी मोहनलाल 3.सुमन पुत्री मोहन लाल निवासीगण माधवगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री जयशंकर सिंह
2. आरक्षी लालू यादव
3. महिला आरक्षी बबीता यादव
4. महिला आरक्षी रूबी पाल

(9). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 14.04.2021 को महिला थाना एंटी रोमियों टीम द्वारा कर्वी क्षेत्र के विभिन्न मंदिर काली माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, संतोषी माता मंदिर में भ्रमण कर श्रद्धालुओं को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने हेतु जागरूक किया, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्दी माता मंदिर में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा भरतकूप मंदिर एवं ग्राम पहरा मे भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम देवकली में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम रैपरा, दूबी व लपाव में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर में कस्बा राजापुर में दुकानदारों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालनस करने हेतु बताया तथा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया। एण्टी रोमियों टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(10). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी मऊ व क्षेत्राधिकारी नगर/राजापुर के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त/रूट मार्च एवं जनचौपाल कर ग्रामीणों से जनसंवाद कर निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की गयी कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें, अवैध शराब का सेवन बिल्कुल न करें एवं अवैध कार्य करने वालों की सूचना पुलिस को दे।

(11). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम द्वारा ग्राम ददरी माफी में, श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ के नेतृत्व में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा ग्राम ऊचांडीह में, श्री क्षेत्राधिकारी राजापुर के नेतृत्व में थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा ग्राम करौंदी कलां एवं अमरपुर में, श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम इटवां डुडैला मजरा बड़ी पाटिन में, श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ द्वारा ग्राम मवईकलां में, श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर द्वारा ग्राम पटा में पुलिस बल के साथ एरिया डोमिनेशन व फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करने हेतु बताते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार का लोभ-प्रलोभन न देने, शराब, रुपया आदि का वितरण न करने के बारे में हिदायत दी गयी। जनता से निर्भीक होकर बिना किसी के दबाव के स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु बताया किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों की सूचना पुलिस को अवश्य दे। अवैध शराब का सेवन न करने की अपील की तथा आचार संहिता का पालन करने हेतु बताया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत महोदय द्वारा मास्क का प्रयोग करने, सेनेटाइजर का प्रयोग कर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने की अपील की।

(12). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुये सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ के मार्गदर्शन में आज दिनाँक-14.04.2021 को अग्निशमन की टीमों द्वारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से 1.निर्मोही अखाड़ा चौकी सीतापुर 2.रामघाट सीतापुर 3.सीतापुर चौकी और उसके आसपास को सेनेटाइज किया गया।

(13). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा चुनाव में जीतने एवं मतदाताओं को लुभाने हेतु तथा अपने पक्ष में वोट देने को लेकर सफेद बनियान चुनाव चिन्ह एवं प्रत्याशी का नाम छपी हुई एवं साड़ी बाटने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय हैं कि कल दिनाँक-13.04.2021 थाना मऊ अन्तर्गत ग्राम नीबीं में चुनाव चिन्ह छपी सफेद बनियान बांटने वाले 03 अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर थाना मऊ पुलिस द्वारा अभियुक्त (1) अभिमन सिंह पुत्र मायाराम सिंह (2) सुल्तान सिंह पुत्र सुखलाल निवासीगण नीबी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 24 अदद गोल गले की बनियान सफेद हॉफ बाजू चुनाव चिन्ह एवं प्रत्याशी का नाम छपा हुआ के साथ गिरफ्तार किया गया तथा थाना मारकुण्डी पुलिस द्वारा ग्राम भेड़ा थाना मारकुण्डी में साड़ी बाटने वाले जग्गा उर्फ रामसनेही व प्रधान प्रत्याशी श्रीमती जया त्रिपाठी पत्नी राजा उर्फ कमलेश त्रिपाठी के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त जग्गा उर्फ रामसनेही पुत्र भोला राम निवासी भेडा थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को 01 थैले में 07 अदद साड़ियों के साथ गिरफ्तार किया गया।

(13). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में प्रभारी निरीक्षकों की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों के साथ गोष्ठी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। थाना प्रभारियों द्वारा सभी एच0एस0 को हिदायत दी गयी कि अपने आचरण एवं व्यवहार को संदिग्ध न बनाए तथा कोई भी ऐसी गतिविधि न करें जिससे कि चुनाव प्रभावित हो शान्ति पूर्ण मतदान मे पूर्ण रूप से सहयोग करें। आदर्श आचार संहिता का पालन करें व चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत मास्क लगाने, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने हेतु बताया एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे।

(14). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनाँक-14.04.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा द्वारा ग्राम मदना, चरदहा एवं बगरेही में तथा उ0नि0 श्री संदीप पटेल चौकी प्रभारी सरैया द्वारा ग्राम सरैया के प्रधान पद के प्रत्याशियों एवं समर्थकों के साथ चौपाल की गयी। चौपाल के दौरान सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करने हेतु बताते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार का लोभ-प्रलोभन न देने, शराब, रुपया आदि का वितरण न करने के बारे में हिदायत दी गयी। मतदान व मतगणना के समय किसी के साथ कोई विवाद, धमकी तथा विजय जुलूस न निकालने हेतु हिदायत दी गयी। बिना किसी भेदभाव एवं पक्षपात के वोट डालने एवं पूर्णतः कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मतदान संपन्न कराने हेतु पुलिस का सहयोग करने की अपील की गयी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने, हाथों को समय-समय पर सेनेटाइज करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने हेतु बताया गया।